अशा0 पत्र संख्या–1/शा/89/2010–1/230/2010
लखनऊः दिनांकः 5 सितम्बर 2011
आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायतीराज निदेशालय,
जवाहर भवन, लखनऊ।

वित्त (आय–व्ययक) अनु0–2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या– संख्या–बी–2–1927/दस–2011–2/2011 पंचायती राज अनुभाग–3 पत्रावली सं0–100(8)/2011, दिनांक 10 अगस्त, 2011 दिनांक 10 अगस्त, 2011 (छायाप्रति संलग्न) में तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अर्न्तगत वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–61 में पंचायती राज संस्थाओं के लिये व्यवस्थित धनराशि में से जिला पंचायतों को अनुमन्य धनराशि रू0–37200.00 लाख की 1% धनराशि **रू–372.00 लाख (रूपया तीन करोड़ बहत्तर लाख मात्र)** को जिला पंचायतों के केन्द्रीय संकाम्य संवर्ग के कर्मियों के पेंशन, अनुतोषिक व्यय हेतु गठित परिकमी निधि में जमा किये जाने हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 10 अगस्त, 2011 में निहित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश के निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी हैं। उक्त धनराशि को निदेशक पंचायती राज द्वारा आहरित करके परिकमी निधि में जमा किया जायेगा।

उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–61 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक **"3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर– 196–जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता–03–राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन–0301–सामान्य समनुदेशन–28–समनुदेशन"** के नामे डाला जायेगा।

(डी0 एस0 श्रीवास्तव)
निदेशक,
पंचायतीराज,उ0प्र0।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1–वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन।
2–प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0 प्र0 शासन।
3–मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4–निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5–निदेशक,पंचायतीराज (लेखा) इन्दिरा भवन दसवां तल लखनऊ।
6–प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
7– वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय(लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद–211001
8–उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायतीराज, उ0प्र0 शासन।
9–तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(रमेश चन्द्र राय)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज,उ0प्र0।

Verma Allot Letter 19-08-2011